न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः– श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 27 / 2024

अपीलांटस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
इन्द्रा कंवर पत्नि स्व. हरीसिंह उम्र 74 वर्ष निवासीनी – कोलू राठौड़ा, तहसील देचू, जिला जोधपुर वर्तमान फलौदी		तहसीलदार देचू

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम बविरूद्व आदेश माननीय तहसीलदार, देचू द्वारा दिनांक 31.05.20222 को नामान्तरकरण संख्या 414 मौजा कोलू निम्बायता को निरस्त किया गया।

उपस्थित वकील –:

अपीलाण्ट् की ओर से– अधिवक्ता श्री समंदर सिंह राठौड़।

रेस्पाडेन्टस की ओर से– तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांकः– 12/03/2024

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार देचू द्वारा नामन्तरकरण संख्या 414 ग्राम कोलू निम्बायता तहसील देचू के सम्बध में रिव्यू आदेश दिनांक 31.05.2022 के विरूद्व अपीलांट द्वारा मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलांट की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है के राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अनुसरण में अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 414 मौजा कोलू निम्बायता दिनांक 27.02.2022 को भरा जाकर दिनांक 02.03.2022 को जांच की जाकर माननीय तहसीलदार देचू द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पारित किया गया था। उक्त नामान्तरकरण पारित करने के पश्चात तहसीलदार देचू द्वारा अपीलान्ट से बाले–बाले एक म्यूटेशन रिव्यू स्टेट बनाम इन्द्रा कंवर नाम से पत्रावली खोली जाकर विधि एवं नियमों से परे जाकर इस आशय की कार्यवाही पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 (E) का सन्दर्भ देकर सबंधित डिक्री को अपंजीकृत डिक्री का आधार बनाकर नामान्तरकरण संख्या 414 को काबिल खारिज मानकर राजस्थान भू राजस्व अधिनिमय की धारा 86 द्वारा प्रदत्त रिव्यू का प्रयोग कर नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया। अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से यह अपीलांट ने अपील की म्याद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।
3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री संमदर सिंह राठौड के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व काश्तकारी अधिनियम मय धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना–पत्र के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किया जाकर मूल रिकार्ड तलब किया गया। मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

जिला कलक्टर
फलोदी

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार देचू द्वारा प्रकरण में गम्भीर लापरवाही बरती जाकर विधि से ऊपर जाकर ग्राम कोलू निम्बायता के

नामान्तरकरण संख्या 414 को खारिज किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 86 में जिस पुनरीक्षण की शक्ति प्रदत्त है तहसीलदार देचू द्वारा उस अधिकार से परे जाकर कार्य किया गया है जिस आधार पर भी दिनांक 31.05.2022 को पारित आदेश खारिज योग्य है। प्रार्थीया के विरूद्ध खोली गई कार्यवाही की सत्य प्रतियें 24.05.2022 की आदेशिका के मुख्य भाग से ही स्थिति स्पष्ट है कि कथित पत्रावली बिना नम्बर खोली गई एवं पुनः सुनवाई में 31.05.2022 की आदेशिका में मात्र नामन्तरकरण संख्या 414 को खारिज करने का अंकित आया है। किस ग्राम का, किस दिनांक का अथवा मूल तलबी की आवश्यकता नहीं समझी गई एवं खारिज आदेश पारित कर दिया गया। तहसीलदार देचू द्वारा दिनांक 24.05.2022 को खोली कथित नामान्तरकरण पुनरीक्षण पत्रावली पर पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 से खारिज नामान्तरकरण संख्या 414 प्रार्थीया के पक्ष में पूर्व में माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय से भरे गये नामान्तकरण संख्या 414 मौजा कोलू निम्बायता का खारिज किया गया वास्तव में न्यायालय आदेश से भरे जाने वाले नामान्तरकरण को स्वतः ही खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जाकर नामन्तरकरण संख्या 414 मौजा कोलू निम्बायता को पुनः बहाल किया जाना आवश्यक है।

तहसीलदार देचू द्वारा दिनांक 24.05.2022 को खोली कथित नामान्तरकरण पुनरीक्षण पत्रावली पर पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 से खारिज नामान्तरकरण संख्या 414 प्रार्थीया के पक्ष में पूर्व में माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय से भरे गये नामान्तकरण संख्या 414 मौजा कोलू निम्बायता को खारिज किया गया है। तहसीलदार देचू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 414 को पुनः बहाल हेतु यह अपील पेश की गई है। जो काबिले खारिज होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

5. अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार देचू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 414 पर पारित आदेश दिनांक 03.03.2022 को रिव्यु कर खारिज किये जाने वाली पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देचू द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के तहत रिव्यु की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयं के द्वारा पूर्व में पारित आदेश 03.03.2022 को रिव्यु किया गया है। इसके लिए उनके द्वारा दिनांक 24.05.2022 को स्वयं के ही रिव्यु पत्रावली को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने का अंकन आदेशिका में किया गया है। यह भी सही है कि उक्त रिव्यु पत्रावली का कोई दर्ज नंबर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में पक्षकारान को नोटिस जारी किए जाने का आदेशिका में उल्लेख है किन्तु पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। यदि नोटिस जारी किये गये तो नोटिस तामील हुए या नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। दिनांक 31.05.2022 की आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय में गैर सायल को गैर उपस्थित बताया गया है किन्तु यह अंकन नहीं किया है कि संबंधित पक्षकारों के नोटिस समुचित रूप से तामील हुए है या नहीं।

इस संबंध में न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(1) का अवलोकन किया है जिसमें नियमानुसार प्रावधान है:–

> बोर्ड और न्यायालय स्वयं की प्रेरणा से या किसी मुकदमें या अन्य कार्यवाही के लिए किसी पक्ष के आवेदन पर स्वयं द्वारा किए गए किसी भी आदेश को रिव्यु

कर सकता , बदल सकता है। आदेश को तब तक बदला या उलटा नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे आदेश के समर्थन में उपस्थित होने और सुनवाई के लिए इच्छुक पक्षकारों को नोटिस नहीं दिया गया हो।

उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू–राजस्व की धारा 86 के तहत रिव्यु की शक्तियों के तहत स्वयं की प्रेरणा से या किसी पक्षकारान के आवेदन पर मूल आदेश को तक तक नहीं बदला या उलटा जावे, तब तक कि ऐसे आदेश के समर्थन में संबधित पक्षकारों को उपस्थित होने या सुनवाई के लिए नोटिस नहीं दे दिया गया हो।

प्रकरण में पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने एवं विधिवत तामील होने के पश्चात अनुपस्थित रहने के संबध में कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

8. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव अपने आदेश दिनांक 03.03.2023 का रिव्यू लगभग दो माह की अवधि के पश्चात, कोई नवीन तथ्य या साक्ष्य का उल्लेख किये बिना किया गया है। जो तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल आदेश की दिनांक 03.03.2023 को उपलब्ध थे, उन्ही के आधार पर अपना पूर्ववर्ती आदेश पक्षकारो की समूचित सुनवाई किए बिना पूर्णतः बदल (Reverse) कर दिया है।

9. ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए तहसीलदार देचू को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि संबधित पक्षकारों को विधिवत नोटिस जारी करते हुए एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, विभिन्न कानूनी पहलूओं के संबध में समुचित परीक्षण कर न्यायसंगत एंव विधि अनुकूल आदेश 2 (दो) माह की अवधि में पारित करें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2024 सरेइजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट फलोदी

जिला कलक्टर फलोदी

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलोदी